आखिरी जांच: 4 अक्टूबर 2026 · Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Uttar Pradesh

Nourishment Grant (Pension) Scheme for Destitute PWDs

उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की यह योजना कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले गरीब लोगों को हर महीने पेंशन (भरण पोषण अनुदान) देती है।

क्या मिल सकता है

हर व्यक्ति को हर महीने 1000 रुपये मिलते हैं, यह दर सरकार समय-समय पर बदल सकती है। पैसा आधार आधारित भुगतान प्रणाली से आधार से जुड़े बैंक खाते में आता है।

किसके लिए है

उत्तर प्रदेश में रहने वाले 40 प्रतिशत या उससे ज़्यादा दिव्यांगता वाले बालिग, जो गरीबी रेखा के अंदर आते हैं।

मुख्य शर्तें

- व्यक्ति की उम्र 18 साल या ज़्यादा हो और दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत हो।
- व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी हो और वास्तव में यहीं रहता हो।
- परिवार की आमदनी गरीबी रेखा के अंदर हो: गांव में सालाना 46,080 रुपये और शहर में 56,460 रुपये तक।
- वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या ऐसी कोई दूसरी मदद पाने वाले और सरकारी गृहों में मुफ्त रहने-खाने वाले लोग पात्र नहीं हैं।

दस्तावेज़

- जिले के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का जारी किया आय प्रमाण पत्र

आवेदन कैसे करें

1. sspy-up.gov.in पर खुद इंटरनेट से, या जन सुविधा केंद्र या लोकवाणी केंद्र से ऑनलाइन फॉर्म भरें।
2. इसी पोर्टल पर अपने ई-आवेदन की ताज़ा स्थिति देखें।
3. नए लोगों को पेंशन बजट के हिसाब से, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलती है और पुराना बकाया नहीं मिलता।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://uphwd.gov.in/article/en/viklang-pension
आधिकारिक आवेदन: https://sspy-up.gov.in/oap/public_new/UserRegistrationForm.aspx?Scheme=HandicapPension
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/uttar-pradesh/up-divyang-pension/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।